प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र. 952/1989

खुलूर उर्फ नंदू

बनाम

छ.ग. शासन

कोरम :– माननीय न्यायाधीश फकरुद्दीन एवं_
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप देशमुख

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता सुश्री मीनू बंजारे

अभियोजन की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

द्वारा :– न्यायाधीश दिलीप देशमुख

अपील गुण दोष के आधार पर सुना गया।

2. इस जेल अपील में अपीलार्थी को भा. द. सं. की धारा 302 के तहत दिनांक 6 – 7 मार्च 1988 की दरमियानी रात को ग्राम कंचनपुर पुलिस थाना सोनहत के क्षेत्रान्तर्गत अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नि सुंदरी बाई को टांगी से मारकर हत्या कारित करने के आरोप में दोषी को सिद्धदोष ठहराया गया है।

3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी और सुंदरी बाई (मृतिका) के मध्य दिनांक 6– 7 मार्च 1988 की दरमियानी रात को विवाद हुआ जिसमें अपीलार्थी ने सुंदरीबाई के गर्दन पर टांगी से घातक प्रहार किया जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी। अपीलार्थी वहा से भाग गया। शिवरतन सिंह आ. सा. क्र. 01 ने मर्ग सूचना दर्ज कराया। मृतिका का शव जंबोलन पेड़ के नीचे

स्थित कुँए के नजदीक से बरामद किया गया। पंचनामा प्र. पी. 08 तैयार किया गया। सुंदरी बाई (मृतिका) की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होना पाया गया उसके शव को पोस्ट मार्टम के लिये भेजा गया। डॉ. आशीष करण अ. सा. क्र. 8 जिन्होंने शव का चिकित्सकीय परीक्षण किया था, के रिपोर्ट के अनुसार गर्दन के दाये भाग पर चौथे और पांचवे थे ग्रीवा क ोरूका के पा र्व भाग पर 3'' x 3'' x 2'' हड्डी तक गहरा एक मृत्यु पूर्व घाव पाया गया। घाव इसकी परिधि में केंद्रित था। सभी पेशीयां कटी हुयी थी पांचवी सरवाईकल वरटेब्रा भी कटी हुयी थी, और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड भी पूर्णतया टुटी हुई थी कैरोटिड धमनी कटी हुयी थी डॉक्टर के मतानुसार मृत्यु रक्त स्त्राव अघात (हेमोरेजिक शॉक) और रीढ़ की हड्डी के टूटने से हुये न्यूरोजेनिक अघात (शॉक) के परिणामस्वरुप उत्पन्न बेहोशी के कारण हुयी थी। आरोपी अपीलार्थी अपनी पत्नि की निर्मम हत्या कारित कर भाग गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी ने अपनी पत्नि के हत्या के संबंध में अ. सा. क्र. 13 गोरेलाल के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी। जांच आगे बढी जिसमें आरोपी के मेरेरण्डम बयान दिनांक 18.3.1988 प्र. पी. 11 के आधार पर खून से सना टांगी का हत्था (हैंडल) कारी जंगल से बरामद किया गया था जिसका जप्ती पत्रक प्र. पी. 05 है। नान्हू पांडो के निवास से दिनांक 18.03.1988 टांगी का फल (ब्लेड) जप्त किया गया। जो की प्र. पी. 12 है। दिनांक 19.03.1988 को एक खून से धब्बे लगा तौलिया जप्त किया गया। जो कि प्र. पी. 06 है। उपरोक्त सभी को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया। आरोपी के निशान देही पर बरामद तौलिया टांगी का फल और हत्थे पर लगे खून की पुष्टि की गई जो की प्रदर्श पी . 18 है। जांच पूर्ण कर अपीलार्थी/अभियुक्त को न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार किया। अभियोजन ने अपने पक्ष में अ. सा. क्र. – 01 शिव रतन सिंह जिन्होनें मर्ग सूचना दर्ज करायी थी एवं शव पंचनामा के साक्षी के रुप में परीक्षण कराया गया एवं अ.सा. क्र. 02 लबांगो एवं 04 धरमपाल सिंह को गवाह के रूप में जांच की गई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जिन्होंने सुंदरी बाई (मृतिका) को घटना के दरमियानी रात्रि अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्षी के रूप में परीक्षण कराया गया, डॉ. आशीष करण अ.सा. क. 08 को शव परीक्षण रिपोर्ट (अटॉप्सी) एवं मृत्यु की प्रकृति को साबित करने के लिए परीक्षित किया गया।

आरोपी के मेमोरेण्डम प्र. पी. 11 और उसके अंतर्गत जप्त की गई प्रद ी पी 12 के अनुसार टांगी की खून से सने फल (ब्लेड) बरामदी के गवाह के रूप में परिक्षित किया गया और अन्वेशण अधिकारी अ.सा. 12 को अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी के ज्ञापन प्रद ी पी 11 और टांगी का हत्था (हैंडल) प्रद ी 05 फल (ब्लेड) की बरामदी प्रद ी पी 12 के अनुसार तथा अभियुक्त के खुन सने तौलयें के परामदी प्रद ी पी 06 के अनुसार के बारे में गवाही देने के लिए परिक्षित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर अपीलार्थी की दोष सिद्धी अभिलिखित की गयी है :–

I- यह कि अपीलार्थी और मृतिका पति – पत्नि थे और घटना दिनांक की दरमियानी रात को अन्तिम बार साथ देखे गये थे।

II- यह कि अपीलार्थी ने अ.सा. क. 13 गोरेलाल के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी कि उसने अपनी पत्नि की हत्या की है और अपीलार्थी की निशानदेही पर टांगी के हत्थे (हैंडल) और फल (ब्लेड) की बरामद कर जप्ती किया गया।

III- यह कि अपीलार्थी – अभियुक्त से जप्त टांगी के हत्थे (हैंडल) और फल (ब्लेड) और तौलिया (टॉवल) पर खून के धब्बे पाये गये जिसका जप्ती पत्रक प्र. पी. 06 है।

IV- यह कि अपीलार्थी अभियुक्त ने अपनी पत्नि की मृत्यु की सूचना पुलिस या किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दी और छुपने के इरादे से भाग गया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का इस आधार पर विरोध किया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एक मात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है। उन्होनें आगे यह भी कहा की परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला अपीलार्थी के अपराधी होने के अपरिहार्य निष्कर्ष को इंगित नहीं करती है इसलिये अभियुक्त दोष मुक्त किये जाने के योग्य है।

6. दूसरी ओर विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने पारित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि वर्तमान मामले में भाारीरिक परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपीलार्थी के अपराध को प्रमाणित करते हैं, विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तथा प्रतिद्विंदी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गहन विचार किया।

8. परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के मूल्यांकन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दुष्टांत धनंजय चटर्जी विरुद्ध पश्चिम बंगाल (1992) के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार –

''परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित इस मामले में परिस्थितियां जिनसे दोषी होने का निष्कर्ष निकाला गया है। वह न केवल पूर्णतया सिद्ध की जानी चाहिए बल्कि यह भी सुनि ित किया जाना चाहिए कि उनकी निर्णायक प्रकृति केवल आरोपी के दोषी होने के अनुमान को प्रकट करता है। अभियुक्त की दोषसिद्धी के अलावा किसी अन्य

अनुमान का स्पष्टीकरण नहीं निकलना चाहिए साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के लिए कोई युक्ति युक्त आधार बचे ही नहीं । "

9. इसी प्रकार गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2001) 2 SCC 205 के मामले में न्यायिकेतर संस्वीकृति के विवेचन से जुड़े सिद्धांत दिये गये है कि जिनके अनुसार न्यायिकेतर संस्वीकृति अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा किया जाता है और वह संस्वीकृति स्वेच्छया की गई है तथा उसे बलपूर्वक प्रलोभन व पक्षपात के वादे से प्राप्त नही किया गया है, तो वह दोषसिद्धी हेतु एक मात्र आधार बनायी जा सकती है तथा इसके पुश्टि केवल अत्यधिक सावधानी के साथ ही की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. सर्वोच्च न्यायालय के परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के विषय में प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुये परिस्थिति जन्य साक्ष्य की श्रृंखला में कड़ियों के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये सबूतो पर विचार किया गया। जहां तक इस घटना की दरमियानी रात को मृतक के साथ अपीलार्थी को अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य का संबंध है अ. सा. क्र. – 02 लाबांगो और अ. सा. क्र. 04 धरमपाल सिंह के न्यायालयीन कथन पूर्णतया अखण्नीय रहा और जिससे यह स्पष्टतया स्थापित होता है कि अपीलार्थी और उसकी पत्नि (मृतिका) को साक्षीगण द्वारा घटना दिनांक की दरमियानीरात को अंतिम बार साथ देखा गया था। धरमपाल सिंह अ.सा. क्र. 04 की अपीलार्थी – अभियुक्त के निवास पर उपस्थिति स्वभाविक है क्योकि वह अपीलार्थी – अभियुक्त के निवास पर तम्बाकू और बीड़ी के सेवन के लिये गया था और तकरीबन आधे घंटे तक वहीं रहा इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण अखण्डनीय रहा। इसी प्रकार अ. सा. क्र. 02 लबांगो भी अपीलार्थी व मृतिका को जानता था उसे याद था कि अपीलार्थी और उसकी पत्नि

(मृतिका) रात्रि करीब 8 बजे उसके निवास के सामने से होकर गुजरे थे और उससे आग भी मांगी थी। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण भी अखण्डनीय रहा।

11. जंहा तक अ. सा. क्र. 13 गोरेलाल के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति किये जाने का प्रश्न है अ. सा. क्र. 13 गोरे लाल के दिये बयान का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। इस साक्षी ने अपने बयान के पैराग्राफ 2 में बताया कि अपीलार्थी / अभियुक्त मंगलवार दोपहर को उसके निवास पर आया था और उसने कहा कि कुछ घ ाटना घटी थी और उसके पूछने पर अपीलार्थी /अभियुक्त ने बताया की उसका उसकी पत्नि से झगड़ा हुआ था जिसमें उसकी पत्नि न उसे गंदी गंदी गालियां दी और उसके मना करने के बावजूद वह गालियां देती रही और उस पर जलती हुई लकड़ी भी फेकी तो उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नि की टांगी से मारकर हत्या कर दी। प्रतिपरीक्षा उसने यह भी बताया की पूरी घटना ग्राम कारी की है पैरा 5 में पूछे जाने पर उसने केवल यह कहा था अपीलार्थी – अभियुक्त द्वारा किये गये न्यायिकेतर संस्वीकृति के विषय में उसने अपने गांव में किसी को भी नहीं बताया था। इसके अलावा इस साक्षी को प्रतिपरीक्षण में बिलकुल भी चुनौती नहीं दी गयी, साक्षी का साक्ष्य अखण्डनीय रहा। इस प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नही मिला है, जिससे पता चले कि अपीलकर्ता से कोई दु मनी है या अपीलकर्ता से कोई द्वश है प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ने यह भी सुझाव नही दिया कि इस गवाह में अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के बारे में किसी ग्रामीण को नही बताया। इस प्रकार गोरेलाल अ.सा. 13 की अभिकथनों की सावधानी पूर्वक जांच करने पर हम यह पाते हैं कि इस साक्षी का बयान वि वसनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जंहा तक मृतिका को लगी चोट की प्रकृति का प्रश्न है डा. आशीष करन अ. सा. क्र. 08 के बयान से यह तथ्य संदेह से परे स्थापित होता है कि सुंदरी बाई (मृतिका) की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। आरोपी की निशानदेही पर टांगी के हत्थे (हैंडल) और उसके फल (ब्लेड) की बरामदगी के तथ्य की पुष्टि अ. सा. क्र. 01 शिवरतन सिंह और अ. सा. क्र. 10 हदय सिंह के बयान से होती है उपरोक्त सभी साक्षीगण स्वतंत्र साक्षी है इन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे कि इनके बयान पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

अ. साक्षी क्र. 01 शिवरतन सिंह , अ. सा. क्र. 10 हद्य सिंह एवं. अ. सा. क्र. 12 बी एस. केरकेटता के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त/ अपीलार्थी की निशान देही पर टांगी के हत्थे (हैंडल) व फल (ब्लेड) के तथ्य के बरामदगी के तथ्य को स्थापित करने में अभियोजन पक्ष सफल रहा। अभियोजन इस तथ्य को भी स्थापित करने में सफल रहा। कि अभियुक्त / अपीलार्थी से जप्त तौलिये (टॉवल) पर खून के धब्बे लगे थे। घटना के बाद अभियुक्त / अपीलार्थी को गिरफ्तार करने में हुयी देरी के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त/ अपीलार्थी को गिरफ्तार करने में 12 दिनों का विलम्ब हुआ है जो कि अन्वेषण को संदेहजनक बनाता है। हांलाकि हम इस तर्क को समझने में विफल रहे और यह प्रतिरक्षा में सहायक भी नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त – अपीलार्थी उपस्थित हो और उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इस मामले में जाचं अधिकारी ने अभियुक्त – अपीलार्थी को गिरफ्तार किया क्योंकि वह संतुष्ट था कि उक्त मामले में आरोपी की सहभागिता है जांच अधिकारी द्वारा सबूत एकत्रित किये गये जो यह दर्शाते है कि आरोपी के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना जांच की जा रही थी। इसके विपरीत घ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ाटना के बाद लंबी अवधी तक आरोपी की अनुपस्थिति और यह तथ्य कि उसने अपनी पत्नि की मृत्यु की सूचना पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी अभियुक्त की अपराध में सहभागिता की पुष्टि करता है।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया। कि न्यायिकेतर संस्वीकृति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस तथ्य पर विचार किया गया और यह पाया कि अ. सा. क्र. 13 गोरेलाल के बयान विश्वसनीय है एवं यह अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के साथ सुम्मेलित रुप से सुसंगत है अभियुक्त – अपीलार्थी की दोषसिद्धी उचित ही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस प्रकार विचारोपरांत हमारा यह मत है कि अभियुक्त – अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य के श्रृंखला में निम्नलिखित कड़ियों को अभियोजन द्वारा पूर्णतया स्थापित किया गया है, जो कि अपराध की परिकल्पना की ओर ले जाते हैः–

I- अभियुक्त – अपीलार्थी एवं उसकी पत्नि सुंदरी बाई (मृतिका) को अतिम बार घटना की दरमीयानीरात को साथ देखा गया था।

II- अभियुक्त – अपीलार्थी ने अ. सा. क्र. 13 गोरे लाल के समक्ष अपनी पत्नि की हत्या के संबंध में न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी।

III- अभियुक्त – अपीलार्थी से जप्त टांगी के हत्थे (हैंडल), फल (ब्लेड)
और तौलिये (टॉवल) पर खून के धब्बे पाये गये थे।

IV- अभियुक्त – अपीलार्थी ने अपनी पत्नि के मृत्यु की सूचना पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दीं इस प्रकार आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नही है। निश्कर्श उचित रूप से अभिलिखित किये गये हैं।

15. अपील विफल हो जाती है, और तदानुसार खारिज की जाती है।

हस्ता.

श्रीमान् फकरुद्दीन

(न्यायाधीश)

हस्ता.

श्रीमान् दिलीप देशमुख

(न्यायाधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**